



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 120-दो/15

जिला - विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-1-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन जिसमें उन्होंने अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया था, को निरस्त किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p>	<p> सदस्य</p>



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरणक्रमांक / निगरानी R-120-II-15

नजीर मोहम्मद पुत्र नजर मोहम्मद, जाति  
मुस्लिमान, व्यवसाय - काश्तकारी निवासी-  
ग्राम बरेंज, तहसीलसिरोज, जिला विदिशा  
म.प्र. -- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- हरनाम सिंह, आयु 40 वर्ष
- 2- धन सिंह, आयु 38 वर्ष,
- 3- अमरसिंह, आयु 35 वर्ष,
- 4- देवी सिंह, आयु 33 वर्ष,
- 5- शेर सिंह, आयु 30 वर्ष,
- 6- बहादुर सिंह, आयु 28 साल,  
पुत्रगण स्व.श्रीश्यामलाल जाति बाल वधोल
- 7- कला बाई विधावा श्यामलाल, समस्तनिवासीगण  
ग्राम बरेंज, तहसील सिरोज जिलाविदिशा मप्र

--प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959  
विस्तृत आदेश दिनांक 26.12.2014 न्यायालय माननीय भू-  
विभागीय अधिकारी, सिरोज जिलाविदिशा मप्र द्वारा  
प्रकरणक्रमांक 42 / अपील / 13-14 में पारित आदेश।

*Parit*

श्रीमानजी,

निगरानी कर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-